



2026:AHC:31966-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3218 सन् 2026

विवेक कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्तागणा(गण)

: परवीश कुमार, विमल कांत

प्रतिवादी के अधिवक्तागणा(गण)

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागणा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि दिनांक 31.01.2026 की एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया जाए, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 33/2026, धारा 318(4), 338, 336(3) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना- शाहपुर, जिला- गोरखपुर में दर्ज किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागणा ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं और उसे किसी गलत इरादे के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, और इसलिए, आक्षेपित एफ.आई.आर. को रद्द किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और यह दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पीड़ित से विदेश में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे लिए थे, और पीड़ित को एक फर्जी आमंत्रण वीजा भी दिया गया था; अतः, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी' (2017) 2 एससीसी 779 में, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य' (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में प्रकाशित और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय, आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में प्रतिपादित निर्धारित कानून पर भरोसा जताया है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून पर विचार करने के बाद... और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने विदेश में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए पीड़ित से गैर-कानूनी रूप से पैसे लिए थे, और पीड़ित को एक नकली आमंत्रण वीजा भी दिया था; तथा विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है; अतः हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

7. इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम ज़मानत/नियमित ज़मानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके ज़मानत आवेदन पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार, यथाशीघ्र उसका निस्तारण किया जाएगा।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"